प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 09.09.2024**

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम द्वारा महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ व धोखाधड़ी कर 20 लाख रुपये ठगने वाला शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

थाना नन्दग्राम पर महिला डॉ0 द्वारा सूचना दी गई की डॉ0 हसीन पुत्र शहीद द्वारा मुझे कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश हो जाने पर मेरी आपत्तिजनक हालात में फोटो व वीडियो बना लेना व मुझे डरा धमका कर, धोखाधड़ी कर अल्ट्रासाउंड मशीन खरीदने के नाम पर 20 लाख रु0 ले लेना तथा और अधिक रुपये की माँग करना व मेरे द्वारा मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी है, उपरोक्त सूचना पर थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना नन्दग्राम पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार किये गये अभि0 ने पूछताछ पर बताया कि मैं पेशे से एक फिजियोथेरपिस्ट हूँ, मुझे अपना काम बढ़ाने के लिए कुछ मशीने खरीदनी थी, जो कि काफी मंहगी थी, तो मैने महिला डॉ0 को अपने जाल में फंसाकर धोखाधड़ी व डरा धमका कर उनसे 20 लाख रुपये हड़प लिये थे।

कार्यवाही का विवरण- उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए, थाना स्तर पर टीमों का गठन कर सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त डॉ0 हसीन पुत्र शहीद को भट्टा नं0 5 रोड , सिकरोड गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

अभि0 का नाम व पता--

डॉ0 हसीन पुत्र शहीद निवासी बी-703, ब्रेव हार्ट सोसायटी राजनगर एक्सटेंशन थाना नन्दग्राम गाजियाबाद, मुल पता- ग्राम पिठलोकर थाना सरधना मेरठ उम्र – 29 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली टीम--

थाना नन्दग्राम पुलिस टीम।

थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लाईसेंसी शस्त्र व 02 खोखा, 02 जिन्दा कारतूस

घटना का विवरणः- दिनांक 08.09.2024 को थाना कविनगर पर वादिया की लिखित तहरीर के आधार पर विपक्षी राहुल पंडित व उसके साथियों द्वारा वादिया के साथ बत्तमीजी, गाली गलौच करने व वादिया के भाईयों तरुण आदि के साथ मारपीट करना गाली गलौच करना व धमकी देना तथा वादिया की गाड़ी पर फायरिग करने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना से अभियोग में विधिक कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही का विवरणः- घटना के अनावरण हेतु टीम गठित की गयी। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों व पूछताछ से वादिया पर फायरिंग करने वाले सूर्या चतुर्वेदी की पहचान के आधार पर थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त सूर्या चतुर्वेदी को इण्डस्ट्रीयल एरिया से गिरफ्तार किया गया तथा उसके कब्जे से फायरिंग करने वाला लाईसेंसी शस्त्र बरामद किया गया है जिसके निरस्तीकरण की रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है , अभियोग मे वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त सूर्या चतुर्वेदी ने वाद विवाद में फायरिंग करने की घटना को स्वीकार किया है।

अभियुक्त का नाम पता-

सूर्या चतुर्वेदी पुत्र स्व0 नरेश चतुर्वेदी निवासी ई 13 अशोक नगर थाना कोतवाली सिहानीगेट जनपद गाजियाबाद

बरामदगी-

लाईसेन्सी रिवाल्वर, 0 2 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस।

गिरफ्तार करने वाले टीमः-

थाना कविनगर पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण, 02 अभियुक्त गिरफ्तार ।

दिनांक 03.09.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पर वादी हरपेश कुमार पुत्र श्री राम सिंह निवासी हनुमान वाटिका लोनी बॉर्डर गाजियाबाद ने तहरीर दी कि हनुमान वाटिका के एक खण्डहर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी के पुत्र तरुण उम्र 26 वर्ष की हत्या कर दी गई है, जिसके सम्बन्ध में तत्काल थाना लोनी बॉर्डर पर अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

तत्पश्चात आज दिनांक 09.09.2024 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर प्रकाश में आये 02 अभियुक्तों 1.अजय कुमार उर्फ जय कुमार पुत्र सुनील निवासी सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद 2. ईशू राजपूत उर्फ विजय कुमार पुत्र बाबूराम निवासी अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद को बन्द फाटक की दीवार के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम तीनो दोस्त थे, दिनांक 29/08/2024 को समय लगभग शाम 6 बजे हनुमान वाटिका के एक खण्डहर में नशा करते समय तरुण द्वारा हम दोनों को गाली गलौच की गई तो हम दोनों ने ईंट से तरुण के सिर पर वार किया जिससे वह बेहोश हो गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गयी और फिर हम दोनों उसका मोबाइल लेकर वहां से भाग आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता –

1.अजय कुमार उर्फ जय कुमार पुत्र सुनील निवासी सिकरानी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र 23 वर्ष।

2. ईशू राजपूत उर्फ विजय कुमार पुत्र बाबूराम निवासी अमर विहार थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद, उम्र करीब 18 वर्ष।

अभियुक्तों से बरामदगी का विवरण ।-

घटना में प्रयोग की गयी एक ईट आलाकत्ल, घटना में प्रयोग की गयी एक इलैक्ट्रिक स्कूटी बिना नंबर प्लेट व एक मोबाइल फोन वीवो कंपनी बरामद।

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास का विवरणः-

अभियुक्त अजय कुमार उर्फ जय कुमार पुत्र सुनील उपरोक्त के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर 01 मुकदमा धारा 103(1) बीएनएस व ईशू राजपूत उर्फ विजय कुमार पुत्र बाबूराम पर थाना लोनी बॉर्डर पर 01 मुकदमा धारा 103(1) बीएनएस का पंजीकृत है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम

थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 08-09-2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान चौकी क्षेत्र बंथला थाना लोनी गाजियाबाद से वाहन चोर 02 अभियुक्तों 1. हरिओम पुत्र चौखेलाल नि0 सुंदर नगरी ई 57 ए 120 झुग्गी दिल्ली उम्र 32 वर्ष 2. योगेश कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ई 57 ए 445 नजरु कबाड़ी वाली गली सुंदर नगरी दिल्ली, उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया तथा इनके कब्जे से दिल्ली से चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस

बरामद हुई। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम दोनों ने 5-6 दिन पहले जीटीबी अस्पताल के गेट से यह मोटरसाइकिल चोरी की थी तथा इसी मोटरसाइकिल को हम दोनों इस्तेमाल करते हुए अन्य चोरी के लिये रैकी करने आये थे कि चैकिंग में आपके द्वारा पकड़े गए।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता

1.हरिओम पुत्र चौखेलाल निवासी सुंदर नगरी ई 57 ए 120झुग्गी दिल्ली, उम्र 32 वर्ष

2.योगेश कुमार पुत्र विजयपाल निवासी ई 57 ए 445 नजरु कबाडी वाली गली सुंदर नगरी दिल्ली, उम्र 22 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है तथा थाना लोनी पर चोरी के वाहन बरामदगी के सम्बध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्पलेण्डर प्लस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा आई-10 कार से हाईवे पर स्टंट करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

दिनांक 08.09.2024 को सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक व्यक्ति आई-10 कार से थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्रान्तर्गत ABES इन्जीनियरिंग कालेज के पास हाईवे पर गाडी की राईट साईड की खिडकी से बाहर निकल कर स्टंट करता दिखाई दे रहा है । सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सम्बन्धित के विरुद्ध उचित धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 09.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना करने वाले अभियुक्त अशरफ पुत्र हसरत निवासी जोशी कालोनी ए 115 आई पी एक्सटेंशन पडपडगंज दिल्ली-92 को ABES कट के पास से गिरफ्तार किया गया । जिस आई-10 कार से रील बनायी जा रही थी उसे कब्जे पुलिस में लेकर अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि मैं सोशल मीडिया पर वायरल होना चाहता था जिसके चलते मेरे द्वारा कार आई-10 कार से एक रील बनायी जा रही थी । किसी व्यक्ति द्वारा मेरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भेज दिया ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त–

अशरफ पुत्र हसरत निवासी जोशी कालोनी ए 115 आई पी एक्सटेंशन पडपडगंज दिल्ली-92

बरामदगी का विवरण-

आई-10 कार

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर उपरोक्त घटना से सम्बन्धित 01 अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 08.09.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा पेरिस फार्म हाऊस मैन रोड़ टीलामोड़ फर्रूखनगर पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक स्पलैन्डर मोटर साइकिल को रुकवाकर मोटर साइकिल के कागजात की जानकारी की गई तो मोटर साइकिल चालक गाड़ी के कागजात नहीं दे सका और ई-चालान एप के जरिए पता चला कि मोटर साइकिल चोरी होने के सम्बन्ध में दिल्ली में अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त से नाम व पता पुछने पर अपना नाम नाम कृष्ण उर्फ चेतू पुत्र स्व0 सुरेश निवासी जेएसएम स्कूल टावर वाली गली फर्रूखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष बताया जिसको तत्काल चोरी की एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण उर्फ चेतू पुत्र स्व0 सुरेश उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

कृष्ण उर्फ चेतू पुत्र स्व0 सुरेश निवासी जेएसएम स्कूल टावर वाली गली फर्रूखनगर थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

- चोरी की एक मोटर साइकिल(स्पलैन्डर) बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त कृष्ण उर्फ चेतू पुत्र स्व0 सुरेश उपरोक्त के विरुद्ध थाना टीलामोड़ पर गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, आर्म्स एक्ट का 01 अभियोग व चोरी एवं चोरी के सामान की बरामदगी से सम्बन्धित 02 अभियोग पंजीकृत है। कुल 04 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा मारपीट व हत्या के प्रयास के अभियोग में वाँछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

दिनांक 08.09.2024 को वादी श्री राहुल सोलंकी पुत्र मुकुट सिंह सोलंकी निवासी बी 88 विक्रम इंकलेव थाना शालीमार गार्डन की लिखित तहरीर के आधार पर 02 अभियुक्तों द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी व वादी की पत्नी के साथ गाली-गलौच कर मारपीट करने व जान से मारने की नियत से वादी के ऊपर चाकू से हमला कर वादी को गम्भीर चोट आने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसका तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 09.09.2024 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा कब्रिस्तान पप्पू कॉलोनी शालीमार गार्डन से 02 अभियुक्त 1. संजय पुत्र दरयाल निवासी प्लाट नम्बर 61 विक्रम इंक्लेव शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष व 2. दिवाकर पुत्र दिनेश निवासी योगेश का किराये का मकान गोतम टेन्ट हाउस के पास जनकपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष_को घटना में प्रयुक्त चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. संजय पुत्र दरयाल निवासी प्लाट नम्बर 61 विक्रम इंक्लेव शालीमार गार्डन गाजियाबाद उम्र करीब 22 वर्ष।
2. दिवाकर पुत्र दिनेश निवासी योगेश का किराये का मकान गोतम टेन्ट हाउस के पास जनकपुर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- घटना में प्रयुक्त 01 चाकू बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा लैंडक्राफ्ट मैट्रो होम्स सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

आज दिनांक 09.09.2024 को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति थाना मुरादनगर क्षेत्र स्थित लैंडक्राफ्ट मैट्रो होम्स सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दिया जिसमें थाना मुरादनगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया।

तत्पश्चात थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना कारित करने वाले अभियुक्त राजेश शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा निवासी एच 6094 लैंडक्राफ्ट मैट्रो होम्स सोसाइटी मुरादनगर गाजियाबाद मूल पता गुड मंडी के पास कस्बा मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैं लैंडक्राफ्ट मैट्रो होम्स सोसाइटी मुरादनगर में रहता हूँ। कल दिनांक 08.09.2024 को मैं अपनी गाडी से बाहर जा रहा था, मेरी गाडी पर सोसाइटी का स्टीकर नही लग रहा था तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने गाडी पर स्टीकर न लगने के कारण मेरी गाडी को रोका तो मैने उसके साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट कर दी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता</u>

राजेश शर्मा पुत्र दिनेश शर्मा नि0 एच 6094 लैंडक्राफ्ट मैट्रोहोम्स मुरादनगर गाजियाबाद मूल पता गुड मंडी के पास कस्बा मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र करीब 34 वर्ष

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम</u>

थाना मुरादनगर पुलिस टीम

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की एक मोटर साइकिल बरामद।

दिनांक 08.09.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर सर्विस रोड़ कोयल एंकलेव के पास टीलामोड़ से एक अभियुक्त मौ0 शोएब पुत्र इदरीश खान निवासी दरबार स्कूल, काली कोठी निवार रोड़ के पास थाना झोड़बाड़ा जिला जयपुर राजस्थान उम्र 22 वर्ष को चोरी की एक मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 शोएब पुत्र इदरीश खान उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण</u>

गिरफ्तार अभियुक्त मौ0 शोएब पुत्र इदरीश खान उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि यह मोटर साइकिल मैने करीब तीन महीने पहले 4 खम्बा चौक ओन रोड़ नन्द नगरी दिल्ली से चोरी की थी।तब से मैं इस मोटर साइकिल को चला रहा हूँ। आज मैं इस मोटर साइकिल को बेचने के लिये यहाँ आया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता</u>

मौ0 शोएब पुत्र इदरीश खान निवासी दरबार स्कूल, काली कोठी निवार रोड़ के पास थाना झोड़बाड़ा जिला जयपुर राजस्थान उम्र 22 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- चोरी की एक मोटर साइकिल (पैशन प्रो)

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटर साइकिल व छीने हुए मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त 2100/- रु0 बरामद।

दिनांक 08.09.2024 को थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा डिफेन्स कॉलोनी कच्चे रास्ते की तरफ सिकन्दरपुर रोड़ टीलामोड़ पर चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर एक अपाचे मोटर साइकिल जिस पर दो लोग सवार थे। थाना टीलामोड़ पुलिस टीम द्वारा मोटर साइकिल रोकने का इशारा किया तो मोटर साइकिल मोड़कर भागने लगे जिनको तत्काल मौके से पकड़कर मोटर साइकिल के कागजात की जानकारी की गई तो मोटर साइकिल चालक गाड़ी के कागजात नही दे सका और ई-चालान एप के जरिए पता चला कि मोटर साइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुई है। दोनों लोगों से नाम पता और फर्जी नम्बर प्लेट के बारे में पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि 02 अभियुक्त 1. सुहेल पुत्र सलीम निवासी- बी-30 भल्ला कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष व 2. समीर पुत्र सलीम निवासी- इश्तेखार के आफिस के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष जो कि अपनी मोटर साइकिल में फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर लोगों से मोबाइल फोन छीनते हैं। तत्काल दोनों अभियुक्तों को फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटर साइकिल व छीने हुए मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त 2100/- रु0 सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पूछताछ का विवरण-</u>

पूछताछ में अभियुक्त सुहेल पुत्र सलीम उपरोक्त ने बताया कि यह मोटर साइकिल मेरी है। मै इस मोटर साइकिल पर अपने समीर पुत्र सलीम उपरोक्त के साथ मिलकर फर्जी नम्बर लगाकर मोबाइल फोन छीनता हूँ। बरामदा रूपये के बारे मे पूछने पर बताया कि हम दोनों लोगों ने इसी महीने की 03 तारीख को शाम के समय गरिमांजली स्कूल के सामने इसी मोटर साइकिल से आटो में सवार एक महिला से ओप्पो कम्पनी का एक फोन झपट्टा मार कर छीना था और फिर हम अपनी इसी मोटर साइकिल से पसौण्डा वाली गली में मुड़कर अपने घर भाग गये थे अगले दिन हम दोनों ने वह छीना हुआ मोबाइल फोन राह चलते व्यक्ति को 3000/- रू0 मे बेच दिया था। जिसमें से 1500- 1500 रूपये हम दोनों के हिस्से में आये थे।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता</u>

1. सुहेल पुत्र सलीम निवासी- बी-30 भल्ला कॉलोनी गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 20 वर्ष।
2. समीर पुत्र सलीम निवासी- इश्तेखार के आफिस के पास गरिमा गार्डन थाना टीलामोड़ गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

<u>बरामदगी का विवरण</u>

- फर्जी नम्बर प्लेट लगी 01 मोटर साइकिल (अपाचे) व छीने हुए मोबाइल फोन बेचकर प्राप्त 2100/- रु0 बरामद।

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम</u>

थाना टीलामोड़ पुलिस टीम।